"नफ़रत उकसाने" पर एक पेज लेख

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

कानूनी दायरा:

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार की धारा 20, अनुच्छेद 2 (आईसीसीपीआर) द्वारा कहा गया है कि "राष्ट्रीय , नस्लीय या धार्मिक घृणा की कोई वकालत जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा के लिए उकसाती है, वह कानून द्वारा निषिद्ध होगी।"

परिभाषाएं:

- **'नफरत'** और **'द्वेषभाव'** जैसे शब्द लक्षित समूह के प्रति तिरस्कार, शत्रुता और घृणा की तीव्र और तर्कहीन भावनाओं को सूचित करते है;
- **'वकालत'** इस शब्द को लक्षित समूह के प्रति सार्वजनिक रूप से घृणा को बढ़ावा देने के इरादे के रूप में समझा जाना चाहिए; तथा
- **'उसकाना'** यहशब्द राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बारे में बयानों को संदर्भित करता है, जो उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव, शत्रुता या हिंसा की जोखिम को बढ़ावा देते हैं।

<u>सीमा परीक्षण:</u>

आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20 के नुसार उच्च सीमा की जरुरत होती है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना एक अपवाद होना चाहिए। रबात प्लान ऑफ एक्शन (ए / एचआरसी / 22/17 / ॲड.4, परिशिष्ट) से पता चलता है कि निम्नलिखित सीमा परीक्षण के छह भागों में से प्रत्येक को एक दण्डनीय अपराध के बराबर होने के लिए बयान को पूरा करने की आवश्यकता है:

(1) **संदर्भ :** लक्षित समूह के विरुद्ध भेदभाव , शत्रुता या हिंसा को उकसाने की संभावना है या नहीं , इसका आकलन करते समय संदर्भ का बहुत महत्व है और इसका आशय और या कार्यदक्षता दोनों पर सीधा असर पड़ सकता है। संदर्भ का विश्लेषण भाषण को जिस / समय भाषण का प्रसार और प्रसार किया गया था उससमय के प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के भीतर रखा जाना चाहिए; वक्ता समाज में वक्ता के पद या हैसियत पर :विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से दर्शकों के संदर्भ में जिनके लिए भाषण दिया जा रहा है उनके व्यक्तिगत या संगठन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाना चाहिए;

(2) **वक्ता :**समाज में वक्ता के पद या हैसियत पर विचार किया जाना चाहिए , विशेष रूप से दर्शकों के संदर्भ में जिनके लिए भाषण दिया जा रहा है उनके व्यक्तिगत या संगठन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखा जाना चाहिए;

(3) इरादा: आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20 में इरादे पर जोर दिया गया है। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20 के तहत लापरवाही और दुस्साहस अपराध बनने के लिए पर्याप्त नहीं है , क्योंकि इसमें लेख सामग्री के वितरण या प्रसार के बजाय "वकालत" और "उकसाना" शामिल होता है। इस संबंध में , भाषण का उद्देश और विषय साथ ही दर्शकों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध की सक्रियता की आवश्यकता होती है;

(4) **सामग्री और रूप:** भाषण की सामग्री अदालत के विचार विमर्श-के प्रमुख केंद्र-बिन्दुओं में से एक है और यह उकसाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामग्री विश्लेषण में जिस हद तक भाषण उत्तेजक और प्रत्यक्ष था वह शामिल हो सकता है साथ ही भाषण का रूप, शैली, तर्कों का स्वरुप, या प्रयुक्त तर्कों के बीच संतुलन;

(5) **भाषण अधिनियम की हद:** हद में भाषण अधिनियम की पहुंच, इसकी सार्वजनिक प्रकृति, इसके परिमाण और इसके दर्शकों के आकार जैसे तत्व शामिल हैं। विचार करने के लिए अन्य तत्वों में यह शामिल है कि क्या भाषण सार्वजनिक है, प्रसार के कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए एकल पत्रक ,मुख्यधारा के मीडिया में या इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, आवृत्ति, मात्रा और संचार की सीमा, क्या दर्शक के पास उकसावे पर कार्रवाई करने का साधन था, क्या वह कथन (या काम) प्रतिबंधित वातावरण में परिचालित हो या आम जनता के लिए व्यापक रूप से सुलभ हो; तथा

) 6) **संभावना, निकटस्थता सहित:** परिभाषा के अनुसार, उकसाना यह एक अस्फुटित अपराध है। उकसाने वाले भाषण को अपराध माना जाने के लिए उक्त भाषण के माध्यम से की गई वकालत पर कार्रवाई ही की जाए यह जरुरी नहीं है। फिर भी, नुकसान के जोखिम की कुछ मात्रा की पहचान की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अदालतों को यह निर्धारित करना होगा कि एक उचित संभावना थी कि भाषण लक्ष्य समूह के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई को उकसाने में सफल होगा, यह पहचानते हुए कि इस तरह का कारण प्रत्यक्ष हो सकता है।

रबात योजना इस चिंता के साथ ध्यान देती है कि घटनाओं के अपराधी , जो वास्तव में आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20 की दहलीज तक पहुंचते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है और ना ही उन्हें दंडित किया जाता है। जबकि , अल्पसंख्यकों के सदस्यों को अस्पष्ट घरेलू कानून, न्यायशास्त्र और नीतियों के दुरुपयोग से करके सताया जाता है ताकी दूसरों पर इसका भयानक परिणाम हो । राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को नफरत को बढ़ावा देने के लिए किसी भी उकसावे का उपयोग करने से बचना चाहिए , लेकिन उन्हें घृणास्पद भाषण के खिलाफ दृढ़ता से और तुरंत विरोध करके महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि हिंसा को घृणा के लिए उकसाने की प्रतिक्रिया के रूप में कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है (देखें "अधिकारों के लिए विश्वास" पर 18 प्रतिबद्धताओं को भी)।